न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
दावा बाबत आर0टी0ए0 88
प्रकरण संख्या–334/2020

देवेन्द्र कुमार गोदारा पुत्र लालचन्द जाति,जाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादी

उपस्थिति–श्री अरविन्द नैण अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :–06.01.2021

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्व यह दावा बाबत् घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि चकनं0 8 एसबीएन के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 55/56 में कुल 4.301 है0 आराजी व इसी चक के खाता सं0 54/55 में कुल 3.796 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।नकल जमाबन्दीयॉ संलग्न वाद पत्र है।उपरोक्त आराजी में वादी का नाम देवेन्द्रकुमार अंकित है।

वादी का नाम देवेन्द्र कुमार गोदारा है जो कि वादी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, अंकतालिका, पैनकार्ड, बैंक पास–बुक आदि में सही नाम देवेन्द्र कुमार गोदारा अंकित है। वादी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, अंकतालिका,पैनकार्ड, बैंक पास–बुक आदि की फोटो प्रति संलग्न वादपत्र है। पूर्व में उक्त आराजी वादी के पिता लालचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी,उनकी मृत्यू के पश्चात विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय वादी का नाम सहबन से देवेन्द्रकुमार राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया जबकि वादी का सही नाम देवेन्द्र कुमार गोदारा है।इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सालीवाला द्वारा देवेन्द्रकुमार व देवेंन्द्र कुमार गोदारा दोनो एक ही व्यक्ति है, का प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है।वादी के समस्त दस्तावेजात में वादी का सही नाम देवेन्द्र कुमार गोदारा दर्ज होने तथा राजस्व रिकार्ड चक 8 एसबीएन के खाता सं0 55/56 व खाता सं0 54/55 में वादी का नाम देवेन्द्र कुमार अंकित रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन हो रहा है व तथा वादी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो रहा है। इसलिए वादी चकनं0 8 एसबीएन के खातासं0 55/56 व इसी चक के खाता सं0 54/55 में दर्ज देवेन्द्रकुमार नाम के स्थान पर दुरूस्ती करवाकर देवेन्द्र कुमार गोदारा अंकित करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी को वादपत्र की दफा 2 में दर्ज में वादी का नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्ट्र किया गया।प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादी स्टेट द्वारा अपना जबाबदावा पेश किया गया जिसमें स्टेट द्वारा कोई आपति नही की गई, स्टेट द्वारा अंकित किया गया है कि नाम दुरूस्ती से राज्यहित प्रभावित नही होते। प्रतिवादी स्टेट की ओर से प्रस्तुत जबाबदावा शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी की भूमि में वादी का नाम देवेन्द्र कुमार दर्ज है जबकि वादी का सही नाम देवेन्द्र कुमार गोदारा है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपना नाम देवेन्द्र कुमार के स्थान पर देवेन्द्र कुमार गोदारा दर्ज करवाना चाहता है जिसका स्टेट द्वारा कोई विरोध नही किया गया है।वादी के नाम की दुरूस्ती से राज्यहित प्रभावित नही होते है।वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे।

बहस सुनने के बाद प्रस्तुत दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी के नाम से दर्ज है, जिसमें वादी का नाम देवेन्द्र कुमार दर्ज है, तथा इस बाबत वादी ने अपने दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, पैनकार्ड, अंकतालिका, बैंक पास बुक आदि पेश किये है जिसमें वादी का नाम देवेन्द्र कुमार गोदारा है। वादी अपना सही नाम देवेन्द्र कुमार गोदारा दर्ज करवाना चाहता है।वादी का वाद मात्र दुरूस्ती का है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 8 एसबीएन के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 55/56 व इसी चक के खाता सं0 54/55 में अंकित नाम देवेन्द्र कुमार को दुरूस्त कर देवेन्द्र कुमार गोदारा अंकित किये जाने आदेश दिये जाते है। उपरोक्त अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी